

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ-3-4/2017/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2017


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल

विषय :- विधि एवं विधायी कार्य विभाग हेतु मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स
1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।
संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश क.एफ-3-4/2017/नि./चार दि. 28-9-2017

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स
1995 भाग दो में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत दिये गये वित्तीय अधिकार
दिये गये थे में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

Department of Law and Legislative Affairs				
Financial Powers in respect of District and Sessions Judges				
S. No.	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	Sanction purchase of Spare parts, accessories and other equipment for working of machine.(including Transtport Vehicle)	District and Sessions Judges	Full Power	
2.	Purchase of office supplies and equipment	District and Sessions Judges	Up to Rs. 10.00 Lakh in a year	(Detail of items given in Annexure 3 of Book of financial powers volume-I 2012)

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आवेधानुसार


(सुखवीर सिंह)
सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

Rule- 220

04 DEC 2017
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT
JABALPUR

Regd. No. 10000/
Regd. No. 10000/

....2.....

पृष्ठा. क्रमांक एफ- 3-4/17 1879 / 2017 / नियम / चार

भोपाल,

दिनांक 23/11/17

9-2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

५